न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 60/2020

1. पूरन सिंह पुत्र केशर सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी (मृतक)

1/1 गुरमीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. इसराईल
2. जुम्मे खाँ
3. मुन्शी खाँ
4. रूजदार पिसरान बदलू
5. खतीजा पत्नि मौहमद इसराईल जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाड़ी जिला भरतपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री मौहम्मद खाँ वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5

दिनांक :– 04/08/2021

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1837/0.04, 1841 , हाल खसरा नम्बर 2405/0.04,2411/0.02 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 2405/0.04, का पुराना खसरा नम्बर 1837 मिन/0.04 है जिसके उत्तर दिशा में डामर की सडक जो सीकर से डीग बाया कैथवाडा होकर निकलती है बंदोबस्त विभाग द्वारा नवीन नक्शे में उक्त सडक को खसरा नम्बर 2405 के मौके अनुसार दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। साथ ही खसरा नम्बर 2411 को प्रार्थी के खसरा नम्बर 2405 में सडक के दक्षिण दिशा में लगता हुआ दर्शाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जबकि मौके पर खसरा नम्बर 2411/0.02 सडक के उत्तर दिशा में स्थित है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2411/0.02 सडक के दक्षिण दिशा में प्रार्थी के खसरा नम्बर 2405/0.04 व सडक के बीच में दर्शा दिया गया है जिससे मौके की स्थिति बिलकुल विपरीत हो गई है जो कि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने बिना मौके के निरीक्षण किये नवीन नक्शे को जारी कर दिया उक्त नवीन खसरा नम्बरो की नक्शा ट्रेस दिनांक 19/11/2020 को लेने पर प्रार्थी को जानकारी में आया । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जा के अनुसार खसरा नम्बर 2411/0.02 को डामर सडक के उत्तर दिशा में दर्शाया जावे अर्थात खसरा नम्बर 2411/0.02 को सडक के उत्तर दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये । उन्होने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 05/04/2021 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब/मौका पर्चा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर के मौके पर गठित टीम द्वारा मौका देखा गया मौके पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा पुख्ता सडक बनी हुई है मुताबिक राजस्व नक्शा के सडक सही नहीं है सडक के दोनो तरफ आबादी बसी हुई है मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा ग्राम की आबादी की तरफ खसरा नम्बर 2406 व 2407 को मेड की पुख्ता बिन्दु बताया गया । उसका फीता चलाकर मौका देखा गया खसरा नम्बर 2406, 2405 में होकर मौके पर सडक गुजर रही है। खसरा नम्बर 2406, 2405 का रकबा सडक के दोनो तरफ निकल रहा है इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर , 2411/0.02 हैक्टर सडक के उत्तरी दिशा में स्थित है खसरा नम्बर 2412/0.18 गैर मुम0 सडक खसरा नम्बर 2411/4249, 2411 के उत्तरी दिशा में स्थित है जो वक्फ बोर्ड से सटा हुआ है एवं मुताबिक मौका के अनुरूप नहीं है। खसरा नम्बर 2411/0.02 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम को हाल मौका व कब्जा पैमाईश रिकॉर्ड के अनुसार डामर सडक सीकरी से डीग पर सडक के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2406 के सामने दर्शाना व दर्शाकर संशोधित किया जाना न्यायहित में उचित है। पुनः दिनांक 04/08/2021 को निर्णय से पूर्व तहसीलदार पहाडी से विवादित आराजी एवं सडक की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 एवं खसरा नम्बर 2406/0.08 का मौका निरीक्षण किया

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गया मौके पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा पक्की सडक बनी हुई है मुताबिक राजस्व नक्शा के सडक सही नहीं है सडक के दोनो तरफ आबादी बसी हुई है मौके पर उपस्थित ग्राम वासियो द्वारा ग्राम की आबादी की तरफ खसरा नम्बर 2406 व 2407 की मेड को पुख्ता बिन्दु बताया गया मेड से फीता चलाकर देखा गया मौका अनुसार खसरा नम्बर 2405, 2406 में से होकर सडक निकल रही है खसरा नम्बर 2405 व 2406 के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 व 2411/0.02 स्थित है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दर्ज तथ्यों पर अपनी सहमति दी एवं मौका रिपोर्ट को उचित बताया है।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं की आराजी 2405/0.04 को सड़क के दक्षिण दिशा में एवं अप्रार्थीगण की आराजी 2411/0.02 को सड़क के उत्तरी दिशा में दर्शाने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार खसरा सं0 2411/0.02 एवं 2405/0.04 दोनों को सड़क के दक्षिण में दर्शाया गया है। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार पहाड़ी वर्तमान में मौके पर सड़क खसरा सं. 2405 में से निकल रही है। एवं खसरा संख्या 2411/0.02 सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। मुताबिक मौका सड़क राजस्व रिकार्ड के अनुरूप नहीं है। खसरा संख्या 2405 का शेष भाग सड़क के दक्षिण मे स्थित है एवं खसरा संख्या 2411 सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के वकील ने भी प्रार्थी के तथ्यों एवं तहसीलदार पहाड़ी की मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की है। इसलिए आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 2405 सडक के दक्षिण ओर एवं अप्रार्थी गण का आराजी खसरा संख्या 2411 सडक के उत्तरी ओर है। सडक मौके अनुसार प्रार्थी की आराजी 2405 में से गुजरी है। उक्त अनुसार नक्शा में संशोधन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner